न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 17 / 2022

1. श्री अहसान बेग पुत्र श्री शकूर बेग, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम जिलावड़ा, उप तहसील श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर
2. श्री हीरालाल यादव पुत्र श्री लालाराम यादव, निवासी श्रीनगर, उप तहसील श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....*अपीलान्टस्*

बनाम

1. नायब तहसीलदार श्रीनगर, उप तहसील श्रीनगर, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारनसीराबाद

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1.श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–30.05.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि उप तहसील श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के राजस्व ग्राम कानपुरा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1104 / 1083 के खसरा संख्या 188 / 5324 रकबा 2.12 हैक्टर में से विक्रेतागण की 8 / 35 हिस्सा भूमिकाविक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1470 दिनांक 17.09.2021 सेअपीलान्ट्सके पक्ष में नायब तहसीलदार, श्रीनगर द्वारा स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकण दिनांक 30.09.2021 को निरस्त कर दिया। अपीलान्टस द्वारा नायब तहसीलदार,श्रीनगर के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 30.09.2021 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी खाता संख्या 1104 / 1083 के खसरा संख्या 188 / 5324 रकबा 2.12 हैक्टर में से विक्रेतागण श्रीमति हसीना बेगम पुत्री स्व0 श्री हासम बेग, श्रीमति जमीला

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

बेगम पुत्री स्व0 श्री हासम बेग, श्रीमति मुमताज बेगम पुत्री स्व0 श्री बाबू बेग एवं सलीम बेग पुत्र स्व0 श्री बाबू बेग समस्त निवासीगण ग्राम जिलावड़ा, उप तहसील श्रीनगर, जिला अजमेर के द्वारा 8/35 हिस्सा भूमि अपीलान्ट्स को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2021 से विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया। पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण दिनांक 17.09.2021 को स्वीकृत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सूचित किये बिना विधि के प्रतिकूल दिनांक 30.09.2021 को नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के पश्चात निरस्त करने का अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व हल्का पटवारी व गिरदावर से जांच रिपोर्ट तलब की जाकर ही अपीलान्ट्स के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिसे बिना किसी आधार व अधिकार के निरस्त कर दिया जो विधि के प्रतिकूल है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2020(2) पेज 828 में मान0 राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण इस आधार पर निरस्त किया कि पुनः विरासत पश्चात पेश करें जबकि उन्हे इस प्रकार का आदेश पारित किये जाने का कोई अधिकार ही नहीं था। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 3 पर अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में पूर्ण रूप से सजरा दर्शाया गया एवं सजरे के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन किया गया। तदनुकूल पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार ही अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों की जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का आधार विरासत पश्चात दिया गया जो क्षेत्राधिकार के बाहर, विधि के प्रतिकूल, विधिहीन एवं अपने पद का दुरूपयोग है। वरवक्त नामान्तरकरण स्वीकृति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण स्वीकृति के सन्दर्भ में किसी प्रकार की रोक बाबत कोई आदेश ही नहीं था। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1470 का निरस्तीकरण आदेश दिनांक 30.09.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 17.09.2021 बहाल किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का द्वारा बेचानकर्ता व खातेदार के नाम मिलान नहीं होने व मृतक खातेदार के विरासत नामान्तरकरण होने के पश्चात वारिसानों द्वारा बेचान का नामान्तरकरण दर्ज किया जाने की रिपोर्ट करते हुए विवादित आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में प्रकरण संख्या 59/2021 विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रभावी होने का तथ्य अंकित किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिअन्तर्गत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का कानपुरा–प्रथम, तहसील नसीराबाद द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण पर बेचानकर्ता व खातेदार के नाम मिलान नहीं होने एवं मृतक खातेदार के विरासत नामान्तरकरण होने के पश्चात वारिसानों द्वारा बेचान का नामान्तरकरण दर्ज किये

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

जाने की रिपोर्ट अंकित की गई है। इसी आधार पर नायब तहसीलदार श्रीनगर द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त कर पुनः विरासत कब्जा पेश करने का अंकन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील [illegible] निरस्त की जाकर आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्तीकरण आदेश दिनांक 30.09.2021 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाकर [illegible] हस्ताक्षर कर इजलास सुनाया गया।